मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 309 /829/1/3/82 भोपाल, दिनांक 19, अप्रैल, 1982

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियंत्रण) अपील नियम 1966 के अन्तर्गत वेतन-वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में ।

==0==

राज्य शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि कतिपय प्रकरणों में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियंत्रण) अपील नियम 1966 के अन्तर्गत अपचारी शासकीय कर्मचारियों / अधिकारियों को दी जाने वाली शास्तियों में से जहाँ वेतन-वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाती है, वहाँ अपचारी कर्मचारी /अधिकारी उनके वेतनमान के अधिकतम पर पँहुचे होने के कारण उक्त शास्ति को अमल में लाना संभव नही होता है ।अत: अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे प्रकरणों में जहाँ उक्त नियमों के अन्तर्गत वेतन-वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाना प्रस्तावित हों यह पहले ही सुनिश्चित करले कि जिस अपचारी कर्मचारी / अधिकारी को उपरोक्त लघु शास्ति दी जाना है वह संबंधित वेतनमान में वेतन का अधिकतम तो प्राप्त नही कर रहा है, ताकि ऐसी शास्ति को जो अमल में लाना संभव न हो, अधिरोपित करना टाला जा सके ।

(के0 एन0 श्रीवास्तव)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

11/4/82